बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/बजट–यो०–13/2024–24 वि०प्र० पटना, दिनांक– 09. जनवरी, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2024–2025 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए मो० 12,50,000 (बारह लाख पचास हजार) रूपये अतिरिक्त आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–135 स्वी०/सी०सी० दिनांक–29.07.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–2025 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए कुल 1240.00 लाख (बारह करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभागीय ज्ञापांक–15 बजट दिनांक–21.08.2024 के द्वारा ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर को गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) में मो० 36,50,000.00 (छत्तीस लाख पचास हजार) रू० आवंटित किया गया था, जिसमें मो० 12,50,000.00 (बारह लाख पचास हजार) रूपये किसानों/इन्क्यूबेटरों के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण हेतु राशि आवंटित किया गया।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–01 दिनांक–01.01.2025 के द्वारा किसानों/ इन्क्यूबेटर के प्रशिक्षण हेतु मो० 12,50,000.00 (बारह लाख पचास हजार) रूपये अतिरिक्त आंवटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–01 दिनांक–01.01.2025 के आलोक में किसानों/ इन्क्यूबेटरों के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण हेतु मो० 12,50,000.00 (बारह लाख पचास हजार) रूपये अतिरिक्त राशि आवंटित किया जाता है।

2. उक्त योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित कुल मो० 12,50,000.00 (बारह लाख पचास हजार) रूपये मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत् निम्न शीर्ष से विकलनीय होगाः–

(क) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0104–गुड़ विकास कार्यक्रम, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010104 से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–3576/वि० दिनांक–01.04.2024 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

4. स्वीकृत्यादेश संख्या–135 स्वी०/सी०सी० दिनांक–29.07.2024 में निहित शर्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन
9/1/2025
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमश.......2

Awantanadesh (Allotment)

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–13 / 2024–24 वजट **पटना, दिनांक– 09 ,जनवरी, 2025**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–13 / 2024–24 वजट **पटना, दिनांक– 09, जनवरी, 2025**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.1.2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–13 / 2024–24 वजट **पटना, दिनांक– 09, जनवरी, 2025**

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

9.1.2025

ईखायुक्त, बिहार।